तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मूलसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2025/1392**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की टिप्पणी पत्रांक 1849 दिनांक 04.12.2025 से प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय की पत्रावली संख्या प./13/5/163/प./2019 शिकायत विरूद्ध श्रीमती कमला भावरिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पचलंगी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू से सम्बन्धित है। जो वर्तमान में कार्यालय हाजा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जांच (Enquiry) प्रक्रिया प्रकटन से सम्बन्धित होने से इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण तदानुसार कार्यालय के पत्रांक 376 दिनांक 30.04.2025 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका, अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली वर्तमान में कार्यालय हाजा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जांच (Enquiry) प्रक्रिया प्रकटन से सम्बन्धित होने से इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण तदानुसार कार्यालय के पत्रांक 376 दिनांक 30.04.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (पूनम) (अपीलेट अधिकारी) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	